(a) whether Government's attention has been drawn to news reports that a large number of Senior bureaucrats have obtained employment for their relations in foreign banks;

(b) whether there is any code of conduct for each officials who seek favour from foreign organisations for their wards specially for employment;

(c) if so, the details thereof; and

(d) whether there has been any violation during the past five years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI MARGARET ALVA): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The service Conduct Rules prohibit the Government servants to use their position or influence directly or indirectly to secure employment for any member of their family in any company or firm.

(d) Notice of violation of Conduct Rules and action thereon is taken by disciplinary authorities at various levels in the Ministries/Departments. Therefore, the required information is not centrally available.

सपन्न लोगों द्वारा निर्धनता उन्मूलन योजनाओं का लाभ उठाया जाना

@2399 **श्री वीरेन जे० शाह :**
श्रीमती सूषमा स्वराज :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन की योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में हाल ही में किए गए मूल्यांकन से यह पता चलता है कि इन योजनाओं के लाभ संपन्न लोगों ने उठाए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में इन योजनाओं का लाभ निर्धनों तक पहुंचे सरकार कुछ उपाय करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इन उपायों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल) : (क) और (ख) जनवरी–दिसम्बर, 1989 के दौरान हुए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई०आर०डी०पी) के समवर्ती मूल्यांकन के तीसरे दौर के अनुसार कार्यक्रम के तहत केवल 6 प्रतिशत मामलों में अपात्र परिवारों को सहायता दी गई। योजना के तहत लाभ का अधिक भाग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले ग्रामीण गरीब परिवारों को मिला था।

(ग) और (घ) अपात्र परिवारों को लाभ न देने तथा गरीब परिवारों के सही-सही चयन के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने 15 नवम्बर, 1991 को सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किए थे कि वे प्रत्येक गांव में परिवारों का एक नए सिरे से सर्वेक्षण करें ताकि उन परिवारों का पता लगाया जा सके जो 11,000 रुपए वार्षिक की गरीबी की रेखा से नीचे बसर कर रहे हैं। गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों का सही चयन सुनिश्चित करने के लिए कुछ सुरक्षात्मक उपाय तथा प्रक्रियायें स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई हैं। केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार ने गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों के सर्वेक्षण से संबंधित कार्य शुरू कर दिया है तथा वह सर्वेक्षण के पूरा होने पर इसके परिणाम केन्द्र सरकार को भेज देगी।

@पूर्वतः अतारांकित प्रश्न 1058, 20 जुलाई, 1992 से स्थानान्तरित।

देश में शीतागार

@@2400. **श्री राजूभाई ए० परमार:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसानों को शीतागारों की समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है; और

(ग) शीतागारों की राज्यवार संख्या और कुल क्षमता कितनी-कितनी है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई एच० पटेल : (क) सरकार को किसानों को शीतागारों की सुविधा उपलब्ध न होने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) सरकार शीतागारों के निर्माण का कार्य नहीं करती है । शीतागारों की स्थापना अधिकतर निजी क्षेत्र में की जाती है जो कि देश में शीतभण्डारण क्षमता का लगभग 86 प्रतिशत बैठता है । भण्डारण योग्य फालतू उपज को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक एजेंसी की आवश्यकता के अनुसार शीत भण्डारों की स्थापना सहकारी समितियों सहित विभिन्न एजेंसियों/संस्थाओं द्वारा की जाती है ।

(ग) शीतागारों की संख्या तथा उनकी भण्डारण क्षमता के बारे में राज्यवार सूचना विवरण में दी गई है ।

विवरण

31-12-91 की स्थिति के अनुसार भण्डारण क्षमता सहित शीतागारों का राज्यवार विवरण

(क) शीत भण्डारण आदेश 1980 के अंतर्गत

(मीटर टन में)

क्रमांक	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	शीतगारों की संख्या	क्षमता
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	70	32887
2.	असम	3	1703
3.	बिहार	208	435134
4.	गुजरात	142	199219
5.	गोवा	28	2041
6.	हिमाचल प्रदेश	14	647
7.	जम्मू व काश्मीर	12	17316
8.	केरल	112	12641
9.	कर्नाटक	79	19100
10.	महाराष्ट्र	238	126527

@@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 1642, 24 जुलाई, '92 से स्थानांतरित ।